भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **2155**

दिनांक 4 जुलाई , 2019 / 13 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

जन प्रतिनिधियों द्वारा हवाई सेवाओं के विरुद्ध शिकायतें

2155. **श्री भर्तृहरि महताब:**

श्री राहुल रमेश शेवले:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत में जन प्रतिनिधियों द्वारा घरेलू हवाई यात्रा के लिए अधिक भाड़ा वसूलने और एयर स्टाफ द्वारा चूक पूर्ण सेवाएं देने के संबंध में हवाई सेवाओं के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी शिकायतों पर एयर लाइन-वार अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी हां। जनवरी से जून, 2019 की अवधि के दौरान, उच्च विमान किरायों और हवाईअड्डे पर खराब सेवाओं के संबंध में चार पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से दो पत्र कोलकाता-आइजोल-कोलकता सेक्टर पर उच्च विमान किरायों के संबंध में और एक पत्र श्रीनगर से आने व जाने वाली उड़ानों के संबंध में और एक पत्र बागडोगरा हवाईअड्डे पर इंडीगो के कार्मिक द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में है।

(ख): दो पत्रों के संबंध में, मैसर्स एअर इंडिया ने सूचित किया है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किराए प्रतिस्पर्धी हैं तथा बाजार कारकों जैसे प्रतियोगी कंपनियों, मौसमीयता, उत्पाद विशेषताओं जैसे आवृत्ति, उड़ान का समय, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रचालन आदि पर आधारित है। अंतरदेशीय नेटवर्क पर किराए बहुल स्तरीय होते हैं। किसी भी समय मनमाने ढंग से किरायों में वृद्धि नहीं की जाती है। अन्य दो पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ): प्रचलित विनियम के अनुसार, सरकार द्वारा ना तो विमान किराए को विनियमित किया जाता है ना ही निर्धारित किया जाता है। एयरलाइनें प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ और सामान्य रूप से प्रचलित टैरिफ सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए वायुयान नियमावली, 1937 के नियम-135 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत युक्तिसंगत टैरिफ के निर्धारण के लिए स्वतंत्र हैं। एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किराए बाजार आधारित होते हैं, मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। आपूर्ति पक्ष में, सरकार ने विमान किरायों में किसी प्रकार की वृद्धि को रोकने के लिए एयरलाइनों द्वारा अधिक विमानों को बेड़े में शामिल करने के लिए सुविधा उपलब्ध करा रही है।